



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-28082025-265764
CG-OR-E-28082025-265764

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3828]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 2025/भाद्र 5, 1947

No. 3828]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 2025/BHADRA 5, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 27 अगस्त, 2025

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20ई के तहत सूचना

का.आ. 3933(अ).—जबकि, भारत सरकार, रेल मंत्रालय (पूर्व तट रेलवे, निर्माण संगठन) की अधिसूचना संख्या एसओ 34(ई) द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड(ii), दिनांक 3 जनवरी, 2025 में प्रकाशित(जिसे इसके बाद उक्त अधिसूचना कहा गया है) और रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उप-धारा(1) के तहत जारी किया गया, केंद्र सरकार विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के उद्देश्य से उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा करती है, अर्थात्, आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखपट्टनम जिले में गंगावरम पोर्ट-विशाखपट्टनम स्टील प्लांट (12.04 किमी.) के बीच टाई लाइन सहित वडलापुडी(वीडीपीडी)-गेट जंक्शन केबिन(जीजेसी) के बीच तीसरी और चौथी लाइन।

और जबकि, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उपधारा (4) के अंतर्गत दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों अर्थात् "साक्षी" तेलुगू (विशाखपट्टनम संस्करण) दिनांक 06 फरवरी, 2025, और "द टाइम्स ऑफ इंडिया" अंग्रेजी (विशाखपट्टनम संस्करण) दिनांक 06 फरवरी, 2025 में प्रकाशित किया गया था;

और जबकि, उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्दिष्ट अवधि के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी;

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि यहां संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (2) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन पर, संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी भारों से मुक्त होकर पूर्णतः केन्द्र सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

आन्ध्र प्रदेश राज्य के विशाखपट्टणम जिले में विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात् "गंगावरम पोर्ट-विशाखपट्टणम स्टील प्लांट (12.04 किमी.) के बीच टाई लाइन सहित वडलापुडी (वीडीपीडी)-गेट जंक्शन केबिन (जीजेसी) के बीच तीसरी और चौथी लाइन" के अंतर्गत आने वाली, संरचनाओं के साथ या बिना, अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम:- विशाखपट्टणम

मंडल का नाम:- गाजुवाका

अनुलग्नक-।

क्र. सं.	गाँव का नाम	खाता सं.	प्लॉट/ सर्वे नं.	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र (विभागीय न्यायालयों में)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	दर्ज किरायेदार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कनिथी	300001	245-5सी1	0.21	0.09	0.0850	0.0364	इनाम वेट	वाइजाग प्रोफाइल्स कंपनी लिमिटेड
2	कनिथी	300001	245-5सी2	0.20	0.06	0.0809	0.0243	इनाम वेट	वाइजाग प्रोफाइल्स कंपनी लिमिटेड
3	कनिथी	300001	246-10सी	0.09	0.04	0.0364	0.0162	रयोल्ट्री गीला	वाइजाग प्रोफाइल्स कंपनी लिमिटेड
4	कनिथी	300001	246-11बी1	0.13	0.08	0.0526	0.0324	रयोल्ट्री गीला	वाइजाग प्रोफाइल्स कंपनी लिमिटेड
5	कनिथी	300001	280-2सी	0.24	0.04	0.0971	0.0162	रयोल्ट्री गीला	वाइजाग प्रोफाइल्स कंपनी लिमिटेड
कुल			0.87	0.31	0.352	0.1255			

[फा. सं. CE/CON/JDB at VSKP/ VDPD-GJC 3rd & 4th Line /SRP/20E]

अजय कुमार सामल, चीफ इंजीनियर (निर्माण -II)

MINISTRY OF RAILWAYS

[East Coast Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 27th August, 2025

Notice Under Section 20E of the Railway Act, 1989

S.O. 3933(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (East Coast Railway, Construction Organisation), Notification number, S.O. 34 (E). dated the 3rd January, 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the the 3rd January, 2025 (herein after referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, “**3rd & 4th Line between Vadlapudi (VDPD)- Gate Jn. Cabin (GJC) including Tie Line between Gangavaram Port – Visakhapatnam Steel Plant (12.04 Km.)**” in Visakhapatnam district in the state of Andhra Pradesh.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily local newspapers namely "Sakshi" in Telugu (Visakhapatnam Edition) dated 06th February, 2025, and "The Times of India" in English (Visakhapatnam Edition) dated 06th February, 2025 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received from the public in respect of the said notification within the specified period;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of the notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project, namely “3rd & 4th Line between Vadlapudi (VDPD)- Gate Jn. Cabin (GJC) including Tie Line between Gangavaram Port – Visakhapatnam Steel Plant (12.04 Km.)” in Visakhapatnam district in the state of Andhra Pradesh.

Name of District: - Visakhapatnam

Name of Mandal: - Gajuwaka

Annexure-I

Sl. No.	Name of Village	Khata No.	Plot / Survey No.	Total area (in Ac. Cts)	To be Acquired area (in Ac. Cts)	Total area (in Ha)	To be Acquired area (in Ha)	Type of Land	Recorded Tenant
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kanithi	300001	245-5C1	0.21	0.09	0.0850	0.0364	Inam Wet	Vizag Profiles Co Ltd
2	Kanithi	300001	245-5C2	0.20	0.06	0.0809	0.0243	Inam Wet	Vizag Profiles Co Ltd

3	Kanithi	300001	246-10C	0.09	0.04	0.0364	0.0162	Ryotwri wet	Vizag Profiles Co Ltd
4	Kanithi	300001	246-11B1	0.13	0.08	0.0526	0.0324	Ryotwri wet	Vizag Profiles Co Ltd
5	Kanithi	300001	280-2C	0.24	0.04	0.0971	0.0162	Ryotwri wet	Vizag Profiles Co Ltd
	TOTAL			0.87	0.31	0.352	0.1255		

[F. No. CE/CON/JDB at VSKP/ VDPD-GJC 3rd & 4th Line /SRP/20E]

AJAYA KUMAR SAMAL, Chief Engineer (Con-II)